मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 9.3.2006 से 31.12.2016

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्ण विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (ए) 3–3/85 पार्ट–II दिनांक 17.1.1999 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के मन्दिर न्यासों के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को सौंपे जाने के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल के अवधि 9.3.06 से 31.12.2016 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर न्यास में निम्नलिखित मन्दिर अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	मन्दिर अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अमर नाथ वर्मा	6.3.06 से 12.10.07
2	श्री टी0डी0 भारद्वाज	22.11.07 से 2.6.08
3	श्री वी0एस0 लगवाल	4.6.08 से 28.2.10
4	श्री शमशेर सिंह	15.3.10 से 3.9.12
5	श्री डी0सी0 ठाकुर	3.9.12 से 15.5.15
6	श्री वचित्र सिंह ठाकुर	10.7.15 से लगातार

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान तहसीलदार बैजनाथ को मन्दिर अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	6	सावधि जमा में निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा अग्रिम आयकर (T.D.S.) की कटौती बारे	3.49
2	7	मन्दिर न्यास में दान की राशि का संदिग्ध दुर्विनियोजन	0.22
3	8	अनाज की बिक्री कम दर पर करने से हानि	1.36
4	12	प्रोत्साहन भत्ता एवं दूरभार्ष भत्ते के रूप में अनुचित भुगतान	1.30

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल के अवधि 9.3.2006 से 31.12.2016 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री विजय कुमार

वालिया, सहायक नित्रन्त्रक व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 29.3.2017 से 7.6.2017 के दौरान मन्दिर न्यास के कार्यालय परिसर में सम्पन्न किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित माह चयनित किए गएः—

वर्ष	आय	व्यय
2006	8/2006	8/2006
2007	6/2007	4/2007
2008	8/2008	3/2008
2009	8/2009	10/2009
2010	9/2010	6/2010
2011	9/2011	4/2011
2012	9/2012	9/2012
2013	9/2013	10/2013
2014	9/2014	12/2014
2015	9/2015	10/2015
2016	9/2016	9/2016

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास के लेखाओं का अंकेक्षण मन्दिर न्यास द्वारा प्रेषित सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत किसी भी अधूरी एवं अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल के अवधि 9.3.2006 से 31.12.2016 के वर्तमान लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क ₹52000 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर न्यास अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46 दिनांक 2.6.2017 द्वारा अनुरोध किया गया। मन्दिर अधिकारी द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 811915 दिनांक 15.6.2017 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय शिमला—9 को प्रेषित कर दी है।

4 वित्तीय स्थितिः—

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	चढ़ावा आय	अन्य खातों की आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तशेष
2006	—	923590	168416	2478	1094484	946709	147775
2007	147775	2192240	—	6605	2346620	1559470	787150
2008	787150	1503239	—	20273	2310662	1040182	1270480
2009	1270480	2405622	—	34979	3711081	631809	3079272

2010	3079272	2517677	1000000	224376	6821325	1468318	5353007
2011	5353007	2285979	—	37046	7676032	1424758	6251274
2012	6251274	3573227	—	800428	10624929	2711907	7913022
2013	7913022	3401188	—	702288	12016498	1911800	10104698
2014	10104698	4075631	—	761142	14941471	2957342	11984129
2015	11984129	4788098	—	172124	16944351	2882011	14062340
2016	14062340	4507386	—	1044429	19614155	2662241	16951914

(i) दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष ₹16951914

(ii) दिनांक 31.12.2016 को बैंक में जमा अनुसार अन्तशेष ₹17535176.86

(ख) बैंक समाधान विवरणिकाः—

	Particulars	Debit	Credit
(i)	Balance as per Cash Book as on 31.12.2016	16951914	-
(ii)	Add: Cheque No. 330971 dt. 3.12.2016 issued from KCCB A/C 4477 but not Cleared	4304	-
(iii)	Add: Interest on various FDR"s given by Bank but not entered in cash book	591573	-
(iv)	Unreconiled difference	-	12614.14
(v)	Balance as per Pass Book and Bank FDR"s	-	17535176.86
	Total	**17547791**	**17547791**

Detail of Bank Balances as on 31.12.2016

(i)	KCCB A/C No. 4477	₹5786987.06
(ii)	KCCB A/C No.4636	₹143537.00
(iii)	HDFC Bank A/C No 168	₹709.80
(iv)	FDR"s (Various A/C)	₹11603943.00
	Total	**₹17535176.86**

(ग) वित्तीय स्थिति में ₹12614.14 का अन्तरः—

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल की वित्तीय स्थिति में ₹12614.14 का अन्तर पाया गया है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि उक्त अन्तर की राशि के मिलान के लिए उचित पग उठाए जाएं ताकि मन्दिर न्यास की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

(घ) सावधि जमा योजना में निवेशित राशिः—

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल द्वारा दिनांक 31.12.2016 को ₹11603943 सावधि जमा योजना में निवेशित है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि बैंकों में निवेशित राशियों को निर्धारित तिथियों पर खातों में भुनाया जाना/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर नियमित रूप से ब्याज अर्जित किया जा सके।

5 सोने/चाँदी की स्थितिः—

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल द्वारा सोने व चांदी की अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रस्तुत स्थिति निम्न प्रकार से रही, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** में भी दिया गया है।

दिनांक 25.7.2009 को पहली बार उपाध्यक्ष मन्दिर न्यास समिति की अध्यक्षता में मन्दिर प्रांगन में अन्य समिति सदस्यों के समक्ष सोने व चांदी की वस्तुओं का माप तोल किया गया, जिसका विवरण सोना चाँदी रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 3 पर दर्ज है जिसे समिति सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान सोने/चाँदी की स्थिति निम्न प्रकार से रही है।

(क) सोना :—

विवरण	**ग्राम**	**मि0ग्रा0**
वर्ष 2009 तक प्राप्ति	4	—
वर्ष 2010 में प्राप्ति	2	—
वर्ष 2011 में प्राप्ति	5	130
वर्ष 2012 में प्राप्ति	—	—
वर्ष 2013 में प्राप्ति	—	110
वर्ष 2014 में प्राप्ति	—	013
वर्ष 2015 में प्राप्ति	1	320
वर्ष 2016 में प्राप्ति	1	341
अन्तशेष 31.12.2016	**13**	**914**

(ख) चाँदीः—

विवरण	**कि0ग्रा0**	**ग्राम**	**मि0ग्रा0**
वर्ष 2009 तक प्राप्ति	2	613	—
वर्ष 2010 में प्राप्ति	1	973	—
वर्ष 2011 में प्राप्ति	—	748	430
वर्ष 2012 में प्राप्ति	—	607	200
वर्ष 2013 में प्राप्ति	—	616	706
वर्ष 2014 में प्राप्ति	—	210	400
वर्ष 2015 में प्राप्ति	—	969	350
वर्ष 2016 में प्राप्ति	—	206	330
अन्तशेष 31.12.2016	**7**	**944**	**416**

6 सावधि जमा में निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा अग्रिम आयकर (T.D.S.) के रूप में ₹3.49 लाख की कटौतीः—

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा समय—2 पर सावधि जमा में मन्दिर न्यास के धन को कांगड़ा सहकारी बैंक की महाकाल शाखा में

निवेशित किया गया है, परन्तु बैंक प्रबन्धन द्वारा F.D.R. की परिपक्वता राशि पर अर्जित ब्याज से अग्रिम आयकर (T.D.S.) की कटौती की गई थी जबकि मन्दिर न्यास की आय पर T.D.S. की अदायगी देय नहीं बनती थी। अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत ₹348504 की कटौती बैंक द्वारा की गई है। जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा इस बारे बैंक प्रबन्धन से मामला नहीं उठाया गया, ताकि आयकर के रूप में काटी गई राशि को पुनः प्राप्त किया जा सके। बैंक की महाकाल शाखा द्वारा काटी गई अग्रिम धन आयकर का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	सावधिक जमा सं0	परिपक्वता की दिनांक	आयकर कटौती (₹)
1	359943	16.12.2012	8875
		16.12.2013	12796
2	337948	16.12.2012	3270
		16.12.2013	4716
3	359960	16.12.2012	2784
		16.12.2013	4014
4	359982	16.12.2012	3334
		16.12.2013	4807
5	339208	16.12.2012	9260
		16.12.2013	13351
6	50057558773	16.12.2014	44242
		16.12.2015	43448
		16.12.2016	39403
7	1465724	24.11.2013	12269
		24.11.2014	13679
8	50060200144	24.11.2015	14444
		24.11.2016	17669
9	(a) 1465980 (b)50060200188 (New FDR No.)	8.11.2013	11171
		8.11.2014	12453
		8.11.2015	8166
		8.11.2016	21076
10	50057560215	1.1.2015	9456
		1.1.2016	7668
		1.1.2017	6889
11	992016	9.9.2014	9108
		9.9.2015	10156
		कुल योग	**₹348504**

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सावधि जमा राशियों पर अर्जित ब्याज से बैंक द्वारा आयकर कटौती को पुनः प्राप्ति हेतु यह मामला बैंक प्रबन्धन के समक्ष उठाया जाए

और अगर बैंक प्रबन्धन द्वारा आयकर वापिस करने में असमर्थता बताई जाती है तो बैंक से आयकर प्रमाण पत्र प्राप्त करके मामला सम्बन्धित आयकर अधिकारी से उठाया जाए ताकि कटौती ₹348504 का आयकर विभाग से वापिस प्राप्त किया जा सकें।

अतः यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

7 मन्दिर न्यास में दान स्वरूप प्राप्त ₹0.22 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजनः–

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल में चयनित मासों में प्राप्त दान की धनराशि की रसीदों की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार ₹22172 प्राप्ति के उपरान्त रोकड़ बही में दर्ज नहीं किये गये। अतः इन सभी मामलों की जाँच पड़ताल की जाए और वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाएं अन्यथा सम्बन्धित से इस धनराशि की वसूली करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(i) निम्नलिखित रसीदों द्वारा दानस्वरूप प्राप्त धनराशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है।

क्र0सं0	रसीद संख्या	दिनांक	राशि
1	0536	25.8.2008	51
2	3933	13.8.2008	100
3	3934	14.8.2008	51
4	3935	14.8.2008	10
5	3001 से 3004	26.6.2007	4102
6	3005 से 3025	26.6.2007	1416
7	3134 से 3148	12.5.2007 से 16.6.2007	15245
8	11335 से 11338	8.9.2013 से 13.9.2013 तक	404
		कुल योग	**21379**

(ii) दिनांक 19.8.2006 को रसीद संख्या 201 से 300 द्वारा कुल ₹3773 दानस्वरूप प्राप्त की गई परन्तु रोकड़ बही में कुल ₹2980 जमा करवाई गई। अतः ₹793 कम जमा करवाई गई। जाँच पड़ताल पर पाया गया कि रसीद संख्या 202 ₹51 रसीद संख्या 207 ₹21 और रसीद संख्या 208 ₹21 को कुल योग में जमा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ₹700 कुल प्राप्त दान की राशि से कम जमा करवाये गये है। अतः कुल ₹793 कम जमा करवाई गई है।

(iii) माह 9/2016 में दान से प्राप्त धनराशि की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित खाली रसीद बुकें अंकेक्षण में उपलबध नहीं करवाई गई जबकि इन रसीद बुकों से पहले के अंकों वाली और बाद के अंकों वाली रसीद बुकों से प्राप्त दान की राशि को रोकड़ बही में दर्ज किया गया है। अगर यह रसीद बुकें किसी कर्मचारी को दान प्राप्त करने

के लिए जारी की गई है और उसने दान प्राप्त करने के बाद मन्दिर न्यास में पैसा जमा नहीं करवाया गया है तो यह एक गम्भीर मामला है, जिसकी पूर्ण छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	रसीद बुक संख्या	राशि प्रति रसीद	कुल राशि
1	17401 से 17500	51	5100
2	17501 से 17600	51	5100
3	25601 से 25700	101	10100
4	2801 से 2900	501	50100
		कुल योग	**₹70400**

अतः यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है ताकि मामले की पूर्ण जाँच की जा सके और खाली रसीद बुकों को प्राप्त किया जाएं। अगर यह रसीद बुकें प्रयोग में लाई गई है तो उनसे दान की प्राप्ति ₹70400 बनती है के बारे में जाँच की जाए कि यह राशि रोकड़ बही में क्यों दर्ज नहीं हुई, और क्या इस राशि का दुर्विनियोजन तो नहीं किया गया है। अतः मामले की पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में यह भी ध्यान रखा जाए कि रानी मेलों के दौरान जिन–2 कर्मचारियों को रसीद बुकें जारी की जाती है उनका पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाए और सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद बुकों पावती पर हस्ताक्षर प्राप्त किये जाऐं।

8 अनाज की बिक्री कम दर पर करने से मन्दिर न्यास श्री शिव महाकाल को ₹1.36 लाख की हानि :–

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर प्रशासन द्वारा दान से प्राप्त अनाज की बिक्री के लिए दरें निधारित नहीं की जाती है और एक ही अवधि में विभिन्न दरों पर सामान की बिक्री की जाती है जोकि तर्कसंगत नहीं है निम्नलिखित प्रकरणों में किये गये सामान की बिक्री के फलस्वरूप मन्दिर न्यास को ₹136486 की हानि उठानी पड़ी है।

(1) वर्ष 2013 में सरसों तेल को कम दर पर बेचने से ₹0.28 लाखकी हानिः–

माह 9/2013 और 10/2013 में सरसों तेल ₹70 प्रति किलो बेचा गया था, परन्तु निम्नविवरण अनुसार श्री हरदयाल शर्मा, निवासी गुरदासपुर को ₹52 प्रति किलों के हिसाब से सरसों तेल की बिक्री की गई जिसके फलस्वरूनप मन्दिर न्यास को ₹28386 की हानि उठानी पड़ी।

क्र0सं0	रसीद सं0/दिनांक	मात्रा	दर	कुल राशि (₹)
1	367/8.9.2013	578 Kg	52	30056
2	368/10.9.2013	407 Kg	52	21164

3	369 / 19.9.2013	592 Kg	52	30784
4	370 / 25.9.2013	145 Kg	70	10150
5	371 / 9.10.2013	102 Kg	70	7140

अतः उपरोक्त बिक्री दरों से स्पष्ट है कि सरसों तेल की बिक्री दरों बारे मन्दिर प्रशासन द्वारा दरें निर्धारित किये बिना मन्दिर न्यास को हानी हुईं रसीद संख्या 367, 368 और 369 द्वारा कुल 1577 किलो सरसों तेल की बिक्री ₹18 प्रतिकिलो की कम दर पर की गई जिससे मन्दिर न्यास की ₹28386 की हानि उठानी पड़ी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

8.2 वर्ष 2015 में सरसों तेल और माह की कम दर पर बिक्री से ₹0.82 लाख की हानिः–

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि माह 9/2015 में मन्दिर प्रशासन द्वारा सरसों तेल और माह को तय चालू बिक्री दर से ₹10 प्रति किलो कम पर बेचा गया जिससे मन्दिर न्यास को ₹82430 की हानि उठानी पड़ी। माह 9/2015 में किये गये सामान की बिक्री का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रसीद संख्या/दिनांक	वस्तु का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	
1	431	माह	86 किलो	75	6450	7650
	(B)/19.9.2015	तिल	24 किलो	50	1200	
2	432 / 22.9.15	माह	4883 किलो	65	317395	
		तेल	3360 किलो	60	201600	518995
3	433 / 23.9.15	माह	317 किलो	75	23775	
		तिल	247 किलो	50	12350	41000
		कपड़ा,सुहागी	–		4875	
4	435 / 2.9.2015	चावल	60 किलो	17	1020	
		तेल	50 किलो	70	3500	
		तिल	93 किलो	50	4650	9470
		माह	4 किलो	75	300	

अतः उपरोक्त रसीदों द्वारा बेचे गये सामान की जाँच पड़ताल से यह स्पष्ट है कि रसीद संख्या 432 द्वारा जो सामान की कुल 8243 किलो की बिक्री की गई जो चालू बिक्री दर से ₹10 प्रतिकिलो कम पर की गई जिससे मन्दिर न्यास को ₹82430 की हानी उठानी पड़ी। अतः कम दर से बिक्री बारे स्थिति स्पष्ट की जाएं और आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा से दरों की स्वीकृत से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

T.T. Mahakal

8.3 वर्ष 2016 में सरसो तेल और माह को कम दर पर बेचने से ₹0.26 लाख की हानि बारेः—

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि माह 9/2015 और 10/2015 में मन्दिर प्रशासन द्वारा चालू बिक्री दर से तेल ₹10 प्रतिकिलो और माह ₹15 प्रतिकिलो कम दर पर बेचने से मन्दिर न्यास को ₹25670 की हानि हुई जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	रसीद संख्या/दिनांक	वस्तु का नाम	मात्रा	दर (₹)	कुल राशि (₹)	
1	450/28.9.2016	तेल	231 कि0ग्रा0	70	16170	
		चावल	715 कि0ग्रा0	17	12155	37475
		माह	122 कि0ग्रा0	75	9150	
2	451/5.10.2016	तेल	355 कि0ग्रा0	60	21300	
		माह	232 कि0ग्रा0	60	13920	44460
		गेहूँ	580 कि0ग्रा0	13	7540	
		चावल	100 कि0ग्रा0	171	1700	
3	452/20.10.2016	माह	430 कि0ग्रा0	60	25800	
		माह	37 कि0ग्रा0	75	2775	54125
		तेल	350 कि0ग्रा0	60	21000	
		तेल	65 कि0ग्रा0	70	4550	
4	453/26.10.2016	तेल	600 कि0ग्रा0	60	36000	72000
		माह	600 कि0ग्रा0	60	36000	

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि माह 10/2016 में तेल और माह की बिक्री कम दरों पर की गई जिससे मन्दिर न्यास को ₹25670 (तेल ₹13050+ माह ₹12620) की हानी उठानी पड़ी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि प्रतिवर्ष/यथासमय बिक्री दर निर्धारित की जाए और मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्त्तर पर जो बिक्री दरें निर्धारित की गई है। उस बारे स्पष्ट निति निर्धारित की जाए ताकि भविष्य में मन्दिर न्यास को होने वाली हानी से बचाया जा सके।

9 मन्दिर न्यास के भण्डार में प्राप्त अनाज एवं अन्य वस्तुओं के रख रखाव में अनियमितताओं बारेः—

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल में भक्तों एवं आय लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में अनाज जैसे कि माह, चावल, गेहूँ, सरसों, तिल, सरसों तेल इत्यादि दान किया जाता है।

वस्तु प्राप्ती एवं बिक्री रजिस्टर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि सामान की प्राप्ति और बिक्री का हिसाब किताब ठीक से नहीं रखा जा रहा है और बड़े पैमाने पर प्राप्त अनाज के दुर्विनियोजन के मामले निम्नलिखित विवरणानुसार अंकेक्षण के दौरान पाये गये जिस बारे पूर्ण छानबीन कर उचित कार्यवाही की जाए।

(क) सरसों तेलः–

सरसों तेल से सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैः–

(i) दिनांक 14.9.2008 से 30.4.2009 तक जो भी सरसों तेल भक्तों द्वारा मन्दिर में चढ़ाया गया, उसका कोई भी अभिलेख अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है इस अवधि में प्राप्त सरसों तेल का दुर्विनियोजन किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) वर्ष 2015 से पहले निम्न विवरण अनुसार सरसों तेल की खपत यह दर्शाकर बताई गई है कि श्री शिव मन्दिर महाकाल की परीसर में स्थित विभिन्न मन्दिरों में ज्योतियों को प्रज्वलित करने और शनिवार के दिन भण्डारें के आयोजन पर सरसों तेल की खपत हुई थी।

क्र0सं0	**अवधि**	**तेल खपत की मात्रा**
1	वर्ष 2007 और 2008	1080 लीटर
2	वर्ष 2009	980 लीटर
3	वर्ष 2010	600 लीटर
4	वर्ष 2011	1022 किलो
5	वर्ष 2012	496 किलो
6	वर्ष 2013	533 किलो
7	वर्ष 2014	665 किलो

उपरोक्त तेल की खपत जोकि मन्दिर परिसर में स्थित विभिन्न मन्दिरों में ज्योतियों को प्रज्वलित करने हेतु दिखाई गई है उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि तेल की यह मात्रा वर्ष के अन्तशेष को शून्य दर्शाकर की गई थी। जिससे प्रतीत होता है कि सरसों तेल का भण्डारी रजिस्टर में सही हिसाब नहीं रखा जा रहा था और बड़े पैमाने पर तेल का दुर्विनियोजन किया गया है जिस बारे विभागीय जाँच की जाये और सम्बन्धित के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(iii) अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि वर्ष 2012 की शुरू में दिनांक 1.1.2012 को भण्डार रजिस्टर अनुसार सरसों तेल का प्रारम्भिक शेष 347 किलो था और साल के अन्त में दिनांक 31.12.2012 को अन्तिम शेष 496 किलो बचता था जिसे मन्दिर प्रशासन द्वारा ज्योतियों के प्रज्वलित करने एवं भण्डारे में उपयोग हेतु दिखा कर शून्य दिखा दिया। जोकि उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भण्डार रजिस्टर अनुसार दिनांक 15.8.2012 तक अन्तशेष की मात्रा वर्ष 2012 के अन्दर की गई प्राप्ती और बिक्री के उपरान्त शून्य थी तो

यह कैसे सम्भव हो सकता है कि दिनांक 15.8.2012 तक भण्डारे और ज्योतियां प्रज्वलित करने हेतु तेल का कोई उपयोग नहीं किया गया। क्योंकि भण्डार रजिस्टर अनुसार तेल का अन्तशेष शून्य था।

(iv) दिनांक 31.12.2013 को सरसों तेल का अन्तशेष 533 किलो था जिसे भण्डार रजिस्टर में मन्दिर प्रशासन द्वारा ज्योतियाँ प्रज्वलित करने एवं भण्डारे में उपयोग हेतु दिखा कर अन्तशेष शून्य दिखा दिया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि दिनांक 1.1.2013 से 1.5.2013 तक जितना तेल मन्दिर में प्राप्त हुआ था उसकी बिक्री कर दी गई थी और दिनांक 1.5.2013 के तेल की मात्रा शून्य थी, तो यह कैसे सम्भव हुआ कि दिनांक 1.5.2013 तक ज्योतियाँ प्रज्वलित करने और भण्डारे में तेल का उपयोग नहीं किया गया।

अतः यह स्पष्ट है कि सरसों तेल की भण्डार में उपलब्धता बारे स्थिति स्वः स्पष्ट नहीं है जिस बारे उचित जाँच पड़ताल उपरान्त वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) 100 लीटर सरसों तेल के संदिग्ध दुर्विनियोजनः–

दिनांक 31.5.2009 को सरसों तेल के भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 169 अनुसार तेल की मात्रा का अन्तशेष 135 लीटर था। दिनांक 6.6.2009 को 30 लीटर तेल की प्राप्ती के बाद अन्तशेष 165 लीटर दिखाया गया और उसके बाद दिनांक 13.6.2009 को 45 लीटर तेल की प्राप्ती के बाद अन्त शेष की मात्रा 155 लीटर दर्शाई गई जबकि वास्तव में अन्तशेष की मात्रा 255 लीटर बनती थी। अतः 100 लीटर सरसों तेल को संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया, जिसकी जाँच पड़ताल उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) गेहूँ

माह 9/2014 में गेहूँ के भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 229 की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास में प्राप्त गेहूँ की मात्रा को भण्डार रजिस्टर में पूरी तरह से दर्ज नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक	गेहँ की प्राप्ति	बिक्री	अन्तशेष
	प्रारम्भिक शेष दिनांक 1.9.2014			483 कि0ग्रा0
1	6.9.2014	297 कि0ग्रा0	–	780 किलो
2	13.9.2014	313 किलो	–	1093 किलो
3	20.9.2014	118 किलो	–	1211 किलो
4	27.9.2014	11 किलो	–	1222 कलिो
5	4.10.2014	9 किलो	–	1231 किलो
6	11.10.2014	18 किलो	–	1249 किलो
7	11.10.2014	–	720 किलो	529 किलो
8	13.10.2014	–	509 किलो	20 किलो
9	18.10.2014	7 किलो	–	29 किलो

10	25.10.2014	3 किलो	—	32 किलो
11	1.11.2014	1 किलो	—	33 किलो
12	7.11.2014	—	205 किलो	2 किलो

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 1.11.2014 को गेहूँ का अन्तशेष 33 किलो बनता था जबकि मन्दिर प्रशासन द्वारा दिनांक 7.11.2014 को 205 किलो गेहूँ की बिक्री रसीद संख्या 412 द्वारा भण्डार रजिस्टर में दर्ज की गई है और अन्तशेष की मात्रा 2 किलो दिखाई जा रही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मन्दिर में प्राप्त अनाज का ठीक से इन्द्राज नहीं किया गया है। जिस बारे पूर्ण जाँच पड़ताल की जाए और वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) सरसों:–

(i) सरसों के भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 242 की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 19.10.2011 को 60 किलो सरसों बिक्री के उपरान्त अन्तशेष 344 किलो बचता था परन्तु मन्दिर प्रशासन द्वारा अन्तशेष की मात्रा 304 किलो दर्शाई गई है। अतः 40 किलो सरसों का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जिस बारे पूर्ण जाँच पड़ताल की जाए और चूककर्ता से 40 किलो सरसों की राशि वसूली की जाए।

(ii) दिनांक 22.8.2009 को सरसों भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 211 अनुसार अन्तशेष की मात्रा 79 किलो थी उसके उपरान्त दिनांक 29.8.2009 को 44 किलो सरसों की प्राप्ती हुई और अन्तशेष की मात्रा 113 किलों दर्शाई गई जबकि वास्तव में अन्तशेष की मात्रा 123 किलो बनती थी। अतः 10 किलो सरसों का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और चूककर्ता से राशि वसूल की जाए।

(iii) दिनांक 29.5.2010 को सरसों भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 213 के अनुसार अन्तशेष की मात्रा 249 किलो थी। दिनांक 5.6.2010 को 6 किलो सरसों की प्राप्ती के उपरान्त अन्तशेष 255 किलो बनता था, जबकि मन्दिर प्रशासन द्वारा अन्तशेष की मात्रा 246 किलो भण्डार रजिस्टर में दर्ज की गई है। इस प्रकार कुल 9 किलो सरसों का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और चूककर्ता से 9 किलों सरसों की राशि वसूली करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) रसीद संख्या 344 दिनांक 12.9.2012 द्वारा विभिन्न अनाज की वस्तुओं की बिक्री के फलस्वरूप ₹61980 की प्राप्ती रोकड़ बही में दर्ज की गई है। भण्डार रजिस्टर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि उपरोक्त रसीद द्वारा जो 14 किलो सरसों की बिक्री के उपरान्त ₹420 की प्राप्ती दर्शाई गई थी, सरसों के भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 245 में इसे दर्ज नहीं किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि वस्तुओं की भण्डार रजिस्टर में दर्ज मात्रा वास्तव

T.T. Mahakal

में भण्डार में पड़ी मात्रा से मेल नहीं खाती जिस बारे पूर्ण जाँच पड़ताल के उपरान्त स्थिति स्पष्ट की जाए।

(घ) चावलः—

100 किलो चावल के दुर्विनियोजन बारेः—

चावल भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 161 की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 2.8.2009 को चावल का अन्तशेष की मात्रा 119 किलो थी उसके उपरान्त दिनांक 8.8.2009 और 15.8.2009 को चावल की 20 किलों और 45 किलो की प्राप्ती दर्ज की गई है और अन्तशेष की मात्रा 184 किलो दर्ज की गई है जोकि सही है। इसके उपरान्त दिनांक 19.8. 2009 को 30 किलो चावल की प्राप्ती दर्ज की गई परन्तु अन्तशेष की मात्रा 114 किलो दर्शाई गई जबंकि वास्तव में अन्तशेष की मात्रा 214 किलो दर्ज की जानी अपेक्षित थी, इसके उपरान्त दिनांक 31.8.2009 को भण्डारे में उपयोग हेतु 103 किलो चावल की खपत दर्ज की गई और अन्तशेष की मात्रा 11 किलो दर्शाई गई।

अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 100 किलो चावल का दुर्विनियोजन किया गया है जिसकी पूर्ण जाँच पड़ताल की जाए और चूककर्ता से 100 किलो चावल की राशि वसूली की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) तिलः—

100 किलो तिल के दुर्विनियोजन बारेः—

तिल के भण्डार रजिस्टर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 17.8.2011 के पृष्ठ संख्या 207 अनुसार तिल का अन्तशेष मात्रा 433 किलो थी। दिनांक 20.8.11 और 27.8. 2011 को क्रमशः 66 किलो और 150 किलो तिल की प्राप्ती हुई तथा बिक्री मात्र 1 किलो की हुई। अतः दिनांक 27.8.11 को अन्तशेष की मात्रा 648 किलो दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु मन्दिर प्रशासन द्वारा अन्तशेष की मात्रा 548 किलो दर्ज की है। इसके उपरान्त दिनांक 3.9. 2011 को 228 किलो तिल की प्राप्ती दर्ज की गई और अन्तशेष की मात्रा 777 किलो दर्शाई गई जबकि वास्तव में अन्तशेष की मात्रा 877 किलो दर्ज की जानी अपेक्षित थी। अतः यह स्पष्ट है कि 100 किलो तिल का दुर्विनियोजन किया गया है जिसकी पूर्ण जाँच पड़ताल की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(च) वर्ष 2006—07 के भण्डार रजिस्टर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि उस समय मन्दिर में प्राप्त निम्नलिखित वस्तुओं की प्राप्ती को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया गया था। (i) दाल चना (ii) सफेद चना (iii) दाल मूंग (iv) राजमाह (v) मिक्स दाल (vi) दाल हरहर (vii) धोती मूंगी (viii) काले चने (ix) चीनी (x) गरी गोला (xi) देसी घी (xii) वस्त्र सुहागी इत्यादी।

वर्तमान में उपरोक्त वस्तुओं की प्राप्ती का कोई हिसाब/अभिलेख नहीं रखा गया है सिर्फ निम्नलिखित वस्तुओं की प्राप्ती का ही हिसाब/लिखा रखा जा रहा है।

(i) माह (ii) चावल (iii) तेल (iv) तिल (v) गेहूँ (कनक) और (vi) सरसों

अतः यह परामर्श दिया जाता है कि एक समिति का गठन किया जाये जो वस्तुस्थिति का अवलोकन करके सुझाव दे कि किन–2 वस्तुओं की मन्दिर में दान स्वरूप प्राप्ती हो रही है जिनका अभिलेख तैयार करना अपेक्षित है व कमेटी के सुझावानुसार समस्त प्राप्त दान की वस्तुओं का अभिलेख तैयार करवाया जाये ताकि दान में प्राप्त सामान के दुर्विनियोजन को रोका जा सके और मन्दिर न्यास को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

10 मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल के पुशतैनी पुजारियों के हिस्से की अदायगी पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की रोक बारेः–

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल के चार पुशतैनी पुजारी श्री हरि राम, श्री रोशन लाल, श्री किशोरी लाल और श्री ढुलो राम है। परन्तु श्री हरि राम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में मामला दर्ज करके (CWP No. 381/2016 Hari Ram Vs. State of H.p. and others) पुशतैनी पुजारी के पूरे हिस्से पर दाबा जताया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में उक्त केस के दर्ज होने के फलस्वरूप मन्दिर न्यास द्वारा सभी बारीदारों को हिस्से की अदायगी दिनांक 17.8. 2014 से बन्द कर दी गई है। पुशतैनी पुजारियों को श्री शिव मन्दिर एवं श्री दुर्गा माता मन्दिर में प्राप्त दान से पहले 40 प्रतिशत के हिसाब से भुगतान किया जाता था परन्तु दिनांक 10.4.12 से आयुक्त मन्दिर के आदेशों अनुसार 30 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया है। श्री शनिदेव मन्दिर एवं श्री शनिशिला में प्राप्त दान का कोई हिस्सा पुशतैनी पुजारियों को नहीं दिया जाता है। वर्तमान में पुशतैनी पुजारियों के बकाया हिस्से की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(i) अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 31.12.2016 तक पुशतैनी पुजारियों का बकाया हिस्सा ₹849756 बनता है। यह हिस्सा दिनांक 17.8.2014 से बकाया है। मन्दिर न्यास द्वारा अपने वार्षिक बजट में उक्त बकाया पुशतैनी पुजारी हिस्सेदारी की अदायगी का प्रावधान किया गया है। बकाया राशि का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**गिनती अवधि**	**कुल चढ़ावा (₹)**	**पुशतैनी पुजारी हिस्सा (₹)**
1	17.8.14 से 23.8.14	77788	23336
2	24.8.14 से 30.8.14	77391	23217
3	31.8.14 से 6.9.14	103001	30900
4	7.9.14 से 15.9.14	150911	45273
5	16.9.14 से 16.10.14	55231	16569

6	17.10.14 से 15.11.14	43839	13152
7	16.11.14 से 15.12.14	35588	10676
8	16.12.14 से 13.1.15	44354	13306
9	14.1.15 से 12.2.15	40359	12108
10	13.2.15 से 13.3.15	52157	15647
11	14.3.15 से 13.4.15	55430	16629
12	14.4.15 से 14.5.15	54567	16370
13	15.5.15 से 14.6.15	98458	29537
14	15.6.15 से 15.7.15	99521	29856
15	16.7.15 से 16.8.15	77989	23397
16	17.8.15 से 22.8.15	91845	27554
17	23.8.15 से 30.8.15	66589	19977
18	31.8.15 से 6.9.15	130586	39176
19	7.9.15 से 13.9.15	164818	49446
20	14.9.15 से 16.10.15	59375	17813
21	17.10.15 से 15.11.15	59967	17990
22	16.11.15 से 15.12.15	36828	11048
23	16.12.15 से 31.1.16	41321	12396
24	14.1.16 से 12.2.16	49502	14851
25	13.2.16 से 13.3.16	61645	18594
26	14.3.16 से 13.4.16	58890	17667
27	14.4.16 से 13.5.16	47549	14265
28	14.5.16 से 13.6.16	106663	31999
29	14.6.16 से 15.7.16	118605	35582
30	16.7.16 से 15.8.16	123493	37048
31	16.8.16 से 24.8.16	63231	18969
32	25.8.16 से 27.8.16	57381	17214
33	28.8.16 से 3.9.16	100958	30287
34	4.9.16 से 11.9.16	180078	54023
35	12.9.16 से 15.9.16	11605	3482
36	16.9.16 से 15.10.16	42644	12793
37	16.10.16 से 14.11.16	45636	13691
38	15.11.16 से 14.12.16	46392	13918
		कुल योग	**₹849756**

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जब भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरान्त पुशतैनी पुजारियों को हिस्से का भुगतान किया जायेगा, तो आयकर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार सभी पुशतैनी पुजारियों से उनके PAN No. लिये जाए और अग्रिम आयकर की कटौती के उपरान्त ही शेष राशि का भुगतान किया जाए या आयकर कार्यालय पालमपुर के सुझावानुसार भुगतान किया जाए।

T.T. Mahakal

(ii) अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल द्वारा अपने एक पुशतैनी पुजारी श्री दूलों राम को दिनांक 10.2.2010 से 7.8.2013 तक हिस्से का भुगतान नहीं किया गया है जबकि बाकी तीनों पुजारियों को उनके हिस्से का भुगतान लगातार किया जाता रहा। गिनती रजिस्टर के अनुसार दूलों राम का हिस्से बैंक में जमा दिखाया जा रहा है। दिनांक 10.2.2010 से 7.8.2013 तक श्री दूलों राम पुशतैनी पुजारी का हिस्सा लगभग ₹188000 बनता है जिसका वर्तमान बजट में देनदारी के रूप में कोई प्रावधान नहीं रखा गया जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

जाँच पड़ताल पर यह भी पाया गया कि गिनती रजिस्टर अनुसार दिनांक 10.2.2010 से पहले श्री दूलो राम पुशतैनी पुजारी को जो भुगतान किया गया है उसकी कोई भी पावती या रसीद श्री दूलों राम से नहीं ली गई है और न ही गिनती रजिस्टर में श्री दूलों राम के भुगतान प्राप्ती पर हस्ताक्षर दर्ज है जिससे किये गये भुगतान की प्रमाणीतता नहीं जांची जा सकी। अतः यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि मामले की जाँच की जाए और अगर भुगतान संन्दिग्ध पाया जाए तो दोषी/चूककर्ता के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 मन्दिर परिसर में चोरी हुए चाँदी के आभूषणों की वसूली बारेः–

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर परिसर में दिनांक 6.6.2011 की राम 2 बचे चोरी की वारदात हुई जिसमें निम्नलिखित चांदी के सामान की चोरी हुई पाई गई।

क्र0सं0	**सामान का विवरण**	**भार**	**मात्रा**
1	चांदी का हार	0.096 ग्राम0	एक
2	विभूति धागे सहित	0.368 ग्रा0	एक
3	नाग छत्र	0.758 ग्रा0	एक
	जोड़	**1.222 कि0ग्रा0**	

उपरोक्त चोरी का मामला पुलिस में दर्ज हुआ और पूरी जाँच पड़ताल के बाद कार्यालय, आयुक्त, मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र संख्या CT-KGR-(B) (14) 16/2011-970 दिनांक 15.7.2011 द्वारा आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश महोदय ने निर्देश दिए कि दिनांक 6.6.2011 को श्री महाकाल मन्दिर में चोरी हुई 1.222 किलो ग्राम चाँदी के आभूषणों के मूल्य के समतुल्य राशि को श्री राम कुमार पुजारी तथ श्री किशोरी लाल चौकीदार से समभाग वसूल करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल द्वारा श्री राम कुमार, पुजारी और श्री किशोरी लाल चौकीदार के वेतन से प्रतिमाह ₹2000 की वसूली माह जुलाई 2011 से माह नवम्बर 2012 (11/2012) के दौरान 17 किस्तों में कुल ₹68000 की वसूली की गई है जिसका अंकेक्षण द्वारा सत्यापन कर लिया गया है।

12 प्रोत्साहन भत्ता एवं दूरभाष भत्ते के रूप में अनुचित भुगतान ₹1.30 लाखः–

बिल संख्या 40 दिनांक 30.8.2016 ₹6200ः–

उपरोक्त बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास खाते से हर दूसरे माह ₹6200 का भुगतान सहायक आयुक्त मन्दिर (₹2000) मन्दिर अधिकारी एवं तहसीलदार बैजनाथ (₹2400) और सहायक मन्दिर अधिकारी (₹1800) को प्रोत्साहन एवं दूरभाष भत्ते के रूप में किया गया है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग के पत्र दिनांक 02.12.2010 द्वारा किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को जिसे मन्दिर न्यास का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, को किसी भी प्रकार का Remuneration या Honorarium देय नहीं है। इसके अतिरिक्त आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के पत्र संख्या CT-KGR-1465 दिनांक 21.11.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि FRSR-VIl-I के नियम 49 में निहित प्रावधानों के अनुसार सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी गैर सरकारी कार्यालय के अतिरिक्त कार्यभार के निर्वाहन की स्थिति में उस पद से जुड़े अन्य लाभ के पात्र नहीं है। अतः मन्दिर अधिकारियों को दूरभाष/मोबाईल भत्ता देय नहीं है। जबकि वर्तमान में मन्दिर अधिकारी को ₹400 मोबाईल भत्ता और सहायक मन्दिर अधिकारी को ₹300 मोबाईल भत्ते का भुगतान किया गया है।

जाँच पड़ताल पर यह भी पाया गया कि प्रोत्साहन एवं दूरभाष भत्ते का एक महीने का भुगतान मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ कार्यालय से किया गया है और एक महीने का भुगतान श्री शिव मन्दिर महाकाल कार्यालय से किया गया है। दोनो ही मन्दिरों का अतिरिक्त कार्यभार, तहसीलदार बैजनाथ के पास मन्दिर अधिकारी के रूप में और सहायक आयुक्त मन्दिर का कार्यभार उप मण्डल अधिकारी बैजनाथ के पास है। इसके अतिरिक्त सहायक मन्दिर अधिकार के पास भी दोनों मन्दिरों का पूर्ण कार्यभार है।

जब यह मामला मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाया गया तो उन्होने बताया कि यह भुगतान आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय आदेश संख्या CT-KGR-393-404 दिनांक 6.5.2013 के अनुसार किया गया। किये गये भुगतान का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बिल सं0/दिनांक	सहा0 आयु0	मन्दिर अधिकारी	स0 मन्दिर अधिकारी	कुल योग
1	31/28.6.2013	2000	2400	1800	6200
2	41/31.8.13	2000	2400	1800	6200
3	58/30.10.13	2000	2400	1800	6200
4	72/31.12.13	2000	2400	1800	6200
5	19/28.4.14	2000	2400	1800	6200
6	31/30.6.14	2000	2400	1800	6200
7	42/3.9.14	2000	2400	1800	6200
8	54/31.10.2014	2000	2400	1800	6200
9	67/31.12.14	2000	2400	1800	6200
10	6/28.2.15	2000	2400	1800	6200
11	20/6.5.15	2000	2400	1800	6200
12	31/30.6.15	2000	2400	1800	6200
13	38/4.9.15	2000	2400	1800	6200
14	50/4.11.15	2000	2400	1800	6200
15	2/2.1.16	2000	2400	1800	6200
16	8/4.2.16	2000	2400	1800	6200
17	20/6.5.16	2000	2400	1800	6200
18	31/5.7.16	2000	2400	1800	6200
19	40/30.8.16	2000	2400	1800	6200
20	55/29.10.16	2000	2400	1800	6200
21	71/30.12.16	2000	2400	1800	6200
	कुल	**₹42000**	**₹50400**	**₹37800**	**₹130200**

अतः यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों एवं आयुक्त मन्दिर जिला कांगड़ा के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि अनुचित भुगतान की ₹130200 की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से की जा सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव का पत्र संख्या LAC(T) 9/94-I दिनांक 2.12.2010 जोकि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश को सम्बोधित है में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "It has come to the notice of the Government that some tample trusts are paying remuneration/honorarium to the Government officers/officials whereas there is no such provision of payment of remuneration/Honorarium in the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions of charitable Endowment Act, 1984"

You are therefore requested that, if any remuneration has been/is being paid in Contravention of the provision of the Act ibid (as amended in 2007 & 2010 respectively), It will amount to audit objections. Therefore timely action for recovery be made from the concerned officers/officials of the Govt. deputed in the temple trust, so as to avoid audit objections."

अंकेक्षण द्वारा मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाने के उपरान्त भी प्रोत्साहन भत्ता एवं दूरभाष भत्ते की अदायगी बन्द नहीं की गई है जोकि अनियमित है। अतः यह मामला उचित कार्यवाही हेतु आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला के ध्यान में आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

13 अनुपयोगी भुगतान ₹2.71 लाख बारेः–

वाउचर संख्या 214, दिनांक 28.3.2008 ₹271338

उपरोक्त वाउचर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 142830 दिनांक 28.3.2008 द्वारा ₹271338 का भुगतान जिला योजना अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला कार्यालय को किया गया। यह भुगतान विकास में जन सहयोग (25:75) कार्यक्रम के अन्तर्गत महाकाल मन्दिर के साथ लगते शमशानघाट के पुनः निर्माण हेतु जिलाधीश कार्यालय को उनके पत्र संख्या KGR-PLG(VMJS)/2005-06/2974 दिनांक 10.10.2007 के एवज में किया गया। शमशानघाट के पुर्ननिर्माण एवं सौंदर्यकरण के लिए मन्दिर न्यास द्वारा मामला जिलाधीश कार्यालय कांगड़ा के समक्ष उठाया गया था जिसका प्राक्कलन ₹980000 आंका गया था और सरकार के विकास में जन सहयोग कार्यक्रम (25:75) के अन्तर्गत Public Share ₹271338 आंका गया और सरकारी हिस्सा ₹814012 आंका गया था। जिलाधीश कार्यालय के प्राक्कलन द्वारा इस निर्माण कार्य पर पूरा व्यय ₹1085350 आंका गया था जिसमें original work का हिस्सा ₹980000 तय किया गया था और बाकी की ₹105350 (Maintenance and contingency) के रूप में तय की गई थी। Public share ₹271338 (25 प्रतिशत हिस्सा) का भुगतान मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल द्वारा जिला योजना अधिकारी कार्यालय को किया गया। नियमानुसार जिलाधीश कांगड़ा कार्यालय को पूर्ण ₹1085350 का भुगतान मन्दिर न्यास कार्यालय को किया जाना चाहिए था परन्तु जाँच पड़ताल पर पाया गया कि स्वीकृत राशि का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा को किया गया और उनके माध्यम से निर्माण कार्य करवाने हेतु आदेश दिये गये।

जब इस बारे मन्दिर प्रशासन से पूछा गया कि ₹271338 का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिखाया जाए तो बताया गया कि शमशानघाट का निर्माण कार्य खण्ड विकास अधिकारी

कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पंचायत महाकाल से करवाने का निर्णय लिया गया है और ₹820000 ग्राम पंचायत कार्यालय महाकाल को जारी कर दी गई है परन्तु यह निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। लगभग 8 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी मन्दिर न्यास द्वारा जमा करवाए गये ₹271338 को निर्माण कार्य पर उपयोग में नहीं लाया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा यह मामला उपमण्डल अधिकारी (ना0) बैजनाथ के ध्यान में लाया गया था, जिन्होनें पूरे मामले की जाँच पड़ताल करवाने बारे पत्र संख्या 2728 दिनांक 8.11.2016 द्वारा सहायक अभियन्ता (विकास) विकास खण्ड बैजनाथ को जाँच करने हेतु कहा गया था। सहायक अभियन्ता (विकास) विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा दिनांक 26.12.2016 को निर्माण कार्य बारे रिपोर्ट उपमण्डल अधिकारी (ना0) को सौंप दी गई है जिसकी प्रतिलिपि मन्दिर न्यास कार्यालय को भी उपलब्ध करवाई गई है।

जाँच रिपोर्ट के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत महाकाल द्वारा शुरू में शमशानघाट को दी भटिठयों का कार्य शुरू किया और पूर्ण भी कर लिया गया, और उसके बाद तत्कालीन उपमण्डल अधिकारी (ना0) एवं मन्दिर ट्रस्टियों द्वारा निर्माण स्थल को दूसरी तरफ बनाने का निर्णय लिया गया और निर्माणाधीन कार्य बन्द करवा दिया गया। तत्कालीन खण्ड विकास अधकारी बैजनाथ द्वारा अपने पत्र संख्या DBB/Engg.-Branch/2015-1193 दिनांक 20.3.2015 द्वारा आदेश दिया कि शेष बची राशि को पंचायत द्वारा वापिस किया जाए। ग्राम पंचायत महाकाल द्वारा ₹293561 खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय बैजनाथ को वापिस कर दी गई और निर्माण कार्य पर कुल व्यय ₹530788 पंचायत अभिलेख में दर्ज किया गया। सहायक अभियन्ता (विकास) विकास खण्ड बैजनाथ की जाँच रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्य पर कुल खर्च ₹282, ₹428 किया गया है और ₹265717 की निर्माण सामग्री (Material) पंचायत के पास शेष पड़ी है। इसके उपरान्त इस निर्माण सामग्री का कभी भी उपयोग नहीं किया गया।

अतः मन्दिर न्यास द्वारा जो 8 वर्ष पूर्ण दिनांक 28.3.2008 को जिलाधीश कार्यालय, कांगड़ा में ₹271338 (25 प्रतिशत हिस्सा) विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जमा करवाया गया था और जिस निर्माण कार्य पर कुल ₹1085350 की धनराशि खर्च की जानी थी, उस धनराशि का सही उपयोग नहीं किया गया है। शमशानघाट के निर्माणकार्य पर कुल खर्च ₹282428 का खर्च किया गया है और विकास में जन सहयोग के अन्तर्गत मन्दिर न्यास का 25 प्रतिशत हिस्सा कुल ₹70607 बनता है। अतः जिलाधीश कार्यालय कांगड़ा में मन्दिर न्यास की धनराशि ₹200731 (₹271338–₹70607) अभी भी अनुपयोगी पड़ी हुई है।

अतः यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों एवं आयुक्त मन्दिर के ध्यान में लाया जाता है ताकि मन्दिर न्यास की अनुपयोगी धनराशि ₹200731 को वापिस लाने का प्रयास किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 संविदाकार को ₹2.47 लाख का अनुचित लाभ पहंचाने बारेः–

(i) बिल संख्या 57, दिनांक 5.6.2010 ₹375000

(ii) बिल संख्या 12, दिनांक 20.4.2011 ₹312707

निर्माण कार्य का नामः– यज्ञशाला निर्माण कार्य

संविदाकार का नामः– श्री वीरेन्द्र कटोच, गां0 व डा0 कन्दराल, तह0 बैजनाथ

बिल संख्याः– दूसरा व चौथा चलत बिल

उपरोक्त निर्माण कार्य सहायक आयुक्त मन्दिर के पत्र संख्या Conrt 1/2009-530 दिनांक 31.12.2009 द्वारा संविदाकार श्री वीरेन्द्र कटोच को ₹1533123 में आबंटित किया गया। इस निर्माण कार्य की H.P.S.R. 1999 के आधार पर अनुमानित लागत ₹1057428 आंकी गई थी। इस प्रकार आबंटित कार्य HPSR-1999 के 44.28**%** ऊपर आबंटित किया गया है और इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए 9 महीने की समयसीमा तय की गई थी। उक्त कार्य के उपरोक्त बिलों की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई थी जिनसे प्रतीत होता है कि संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

(i) जाँच पड़ताल पर पाया गया कि D.N.I.T. की मद संख्या 1 (एक) जोकि "Cutting in earth work and disposal of excavated earth upto a lead of 200 meters." से सम्बन्धित है के लिए संविदाकार को ₹110 प्रतिघन मीटर की दर आबंटित की गई है जबकि D.N.I.T की मद संख्या 2 (दो) जोकि "Excavation in foundation Trauches etc in earth work lift upto 1.5 mtrs, stacking the esecavated Soil not more than clear from the edge of the excavation including ramming, watering, consolidating upto a lead of 200 mtrs. Pick jumper work (All type of soil) से सम्बन्धित है, के लिए संविदाकार को ₹70 प्रतिघन मीटर की दर दी गई है जबकि मद संख्या एक का कार्य कम दर पर होना चाहिए था क्योंकि HPSR 1999 में यह संख्या एक की दर ₹59.55 प्रति घन मीटर है जबकि मद संख्या दो की दर ₹92.85 प्रति घन मीटर है। अतः जब दिनांक 7.8.2009 को संविदाकार से दरों बारे Negotiation की गई तो जानबूझ कर मद संख्या एक की दर ज्यादा तय की गई, अनयथा अगर HPSR 1999 की दर पर overall premium 44.28**%** दिया जाता तो भी इस मद की दर ₹85.91 से अधिक नहीं दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार मद संख्या "एक" के लिए संविदाकार को प्रतिघन मीटर ₹24.09 (₹110–₹85.91) अधिक भुगतान किया गया है। संविदाकार द्वारा चतुर्थ चलत बिल तक मद संख्या "एक" की कुल 3524.71 घन मीटर मात्रा

का कार्य किया जिसके लिए उसे ₹110 प्रतिघन मीटर के हिसाब से ₹387718 का भुगतान किया गया। अतः मद संख्या एक में संविदाकार को ₹84910 (3524.71cumx₹24.9 cum) का अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

(ii) इसी प्रकार DNIT की मद संख्या 4 जोकि "P/L Random rubble masonary of sand stone with nicely dressed chissled/Polygonal rubble masonary with stone of approved quality in foundation and plinth 1/C Leveling up with CC 1:6:12 in cement mortor 1:6 in brest retaining wall etc." से सम्बन्धित है के लिए संविदाकार को ₹1800 प्रतिघन मीटर की दर आबंटित की गई जबकि HPSR 1999 में इस मद की दर ₹1077.20 प्रतिघन मीटर थी। अगर HPSR 1999 की दर पर overall 44.28**%** का Premium भी दिया जाता तो इस मद की दर ₹1554.18 प्रति घन मीटर बनती थी।

संविदाकार द्वारा अपने टैंडर फार्म में इस मद की दर ₹1800 प्रतिघन मीटर दर्ज की गई थी, परन्तु जब दिनांक 7.8.2009 को दरों बारे Negotiation की जा रही थी तो मद संख्या "4" की कोई भी Negotiation नहीं की गई, जिससे प्रतीत होता है कि जानबूझ कर संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। इसके अतिरिक्त DNIT में इस मद की मात्रा 435.29 घन मीटर आंकी गई थी जबकि संविदाकार द्वारा चतुर्थ चलत बिल तक इस मद का 555.69 घनमीटर कार्य पूरा किया गया था जिसके लिए संविदाकार को ₹1800 प्रतिघन मीटर की दर से ₹1002242 का भुगतान किया गया। इस प्रकार संविदाकार को ₹136433 (555.69 cumx₹1800.1554.18) का अनुचित लाभ पहुँचाया गया, अगर इस मद की दर की Negotiation की होती और इस मद का कार्य ₹1554.18 प्रतिघनमीटर पर आबंटित किया होता। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iii) उपरोक्त बिलों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार के पिछले चलत बिल में ₹26000 रोके गये। यह धनराशि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार द्वारा मन्दिर के 3000 stone को अपने इस निमार्ण कार्य में प्रयोग करने हेतु रोकी गई थी और इस शर्त पर जारी की जानी थी कि संविदाकार मन्दिर न्यास को 3000 stone वापिस करेगा। जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा यह ₹26000 संविदाकार को जारी कर दी गई है परन्तु संविदाकार ने अगर मन्दिर न्यास को 3000 stone वापिस किये है तो उसके बारे में कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि संविदाकार को ₹26000 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

T.T. Mahakal

अतः यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों एवं आयुक्त मन्दिर जिला कांगड़ा के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है ताकि मामले की जाँच की जा सके और मन्दिर न्यास को हुई हानी की प्रतिपूर्ति हो सके।

15 मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल के खाते से ₹6.20 लाख के अनुचित भुगतान बारेः–

बिल संख्या 38, दिनांक 27.8.2016 ₹619576

रोकड़ बही की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि, पृष्ठ संख्या 121, दिनांक 6.9.2016 के अन्तर्गत उपरोक्त बिल द्वारा ₹619576 का व्यय श्री शिव मन्दिर महाकाल में तैनात भाषा एवं संस्कृति विभाग से सहायक मन्दिर अधिकारी का वित्त वर्ष 2016–17 के वेतन एवं भत्तो के खर्चे की अदायगी के रूप में दर्शाया गया हैं मन्दिर न्यास महाकाल द्वारा ₹619576 का भुगतान चैक संख्या KSC-330684 दिनांक 27.8.2016 द्वारा जिला भाषा अधिकारी कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला को किया गया है।

जाँच पड़ताल पर पाया गया कि यह भुगतान जिला भाषा अधिकारी कार्यालय, धर्मशाला को उनके पत्र संख्या भासका–1/2010–मन्दिर स्थापना–II/600 दिनांक 30.3. 2016 जोकि सहायक आयुक्त मन्दिर ट्रस्ट एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0) श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ को सम्बोधित था, के आधार पर किया गया था। उक्त पत्र में यह स्पष्ट लिखा था कि श्री शिव मन्दिर, न्यास बैजनाथ से वर्ष 2016–17 में भाषा एवं संस्कृति विभाग से तैनात सहायक मन्दिर अधिकारी श्री सुरेश कुमार के वेतन एवं भत्तो इत्यादि पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति ₹619576 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अतः यह खर्चा श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ द्वारा उठाया जाना चाहिए था जबकि इसका भुगतान श्री शिव मन्दिर न्यास महाकाल के खाते से किया गया है जोकि अनुचित प्रतीत होता है, श्री सुरेश कुमार, सहायक मन्दिर अधिकारी द्वारा दोनों मन्दिरों का कार्यभार देखा गया है। अतः पूरा का पूरा भुगतान मन्दिर न्यास महाकाल से करना उचित प्रतीत नहीं होता, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

16 ₹4565 के अनुचित भुगतान बारेः–

बिल संख्या 45, दिनांक 22.9.2016 ₹11242

उपरोक्त बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास महाकाल द्वारा चैक संख्या KSC/330716, दिनांक 22.9.2016 द्वारा ₹11242 का भुगतान मन्दिर परिसर महाकाल में बिजली के मीटरों की अदायगी के रूप में विद्युत उपमण्डल महाकाल को किया गया।

बिजली बिलों की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मीटर संख्या MK-171 जोकि प्रधान, ग्राम पंचायत महाकाल के नाम स्थापित था और जिसका बिल ₹4565 का भुगतान मन्दिर न्यास महाकाल के खाते से किया गया है। अभिलेख की जाँच पड़ताल पर यह भी पाया गया कि पूर्व में भी उक्त बिजली मीटर के बिल का भुगतान मन्दिर न्यास खाते से किया जा रहा है।

अतः यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि स्पष्ट किया जाये कि प्रधान ग्राम पंचायत महाकाल के नाम जारी बिल का भुगतान मन्दिर न्यास खाते से कैसे जारी किया जा रहा है। अगर यह मीटर परिसर में वास्तव में स्थापित है तो मामला विद्युत बोर्ड से उठाकर इस मीटर को मन्दिर न्यास महाकाल के नाम करवाया जाए अन्यथा आजतक किये गये सभी बिलों के भुगतान की वसूली चूककर्ता से करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 ₹0.77 लाख के अनियमित भुगतान बारेः–

बिल संख्या 64,दिनांक 31.8.2012 ₹107458

उपरोक्त बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि ₹107458 का भुगतान मै0 सरस्वती ट्रैडर्ज, गाँ0 रजैहड़ डा0 बाग, तह0 लड़भड़ोल जिला मण्डी को चैक संख्या 328776–78 दिनांक 31.8.2012 द्वारा किया गया। उक्त भुगतान से ₹76815 का भुगतान निम्नलिखित कार्यों के लिए किया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता।

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतान
(i)	Providing CC Flooring behind left side of Devi Dhavan Mahakal, Part-III	17170
(ii)	Repair as demaged/Rottan stair steps in front of Devi Dhavan, Mahakal	24020
(iii)	Providing C.C infront of toilet at shiva temple at Mahakal	11775
(iv)	Providing C.c. flooring infront of road entrance side of devi dhavan Mahakal, (Part-iv)	23850
	कुल	**₹76815**

उपरोक्त भुगतान के बिलों की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाएः–

(i) यह भुगतान मै0 सरस्वती ट्रेडर्ज को बिना किसी औपचारिकता पूर्ण किये किया गया। कार्य करवाने से पहले न तो संविदाएं (Quotations) आमन्त्रित की गई जिससे न्यून बाजार दरों का पता चल सके और न ही टैंडर या वर्क आर्डर निकाला गया जोकि निर्माण कार्य करवाने के लिए आवश्यक औपचारिकताऐं थी। अतः औपचारिकताएँ पूर्ण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) उपरोक्त कार्य को जानबूझ कर 4 भागों में बांटा गया प्रतीत होता है ताकि टैंडर आमन्त्रित करने की बाध्यता से बचा जा सके। इस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iii) निष्पादित निर्माण कार्य की मात्रा को किसी भी माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया है और भुगतान एक प्राक्कलन के आधार पर किया गया है। जाँच पड़ताल पर पाया गया कि यह प्राक्कलन किसी सेवानिवृत एच0डी0एम0 से तैयार करवाया गया था और उसी प्राक्कलन को आधार मानकर भुगतान पास कर दिया गया। वास्तव में किये गये कार्य की गणना ही नहीं की गई जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

18 स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

लेखा परीक्षण में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अनाज के स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव उचित ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है जबकि दूसरी स्थाई वस्तुओं का स्टॉक भी सही ढंग से रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा है। जिससे की सभी स्थाई वस्तुओं के अन्तशेष का पता चल सके। अतः मन्दिर न्यास के सभी स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव उचित ढ़ग से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली की धारा 1517 के अनुसार स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः स्टॉक में पड़े सामान का अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके भविष्य में भी वार्षिक सत्यापन करते हुये की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

21 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 313/2017 खण्ड—1—7068—7071,दिनाँक 05.12. 2017शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल, तह0 बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2

3 उपायुक्त काँगड़ा स्थित धर्मशाला एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर महाकाल, जिला कांगड़ा हि0प्र0

4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला—9

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881